

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 187] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 1965/अग्रहायण 29, 1887

No 187] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 1965/AGRAHAYANA 29, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सरदा दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1965

No. RS. 1/1/66-L—The following order by the President, dated the 18th December, 1965, is published for general information:—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 14th February, 1966, at New Delhi.

NEW DELHI;
The 18th December, 1965.

S. RADHAKRISHNAN,
President.

B. N. BANERJEE, Secy.

राष्ट्र सभा सचिवालय

घाबिसूचना

नई दिल्ली. 20 दिसम्बर 1965

सूचना सं. एन० 1/1/66-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश,
दिनांक 18 दिसम्बर, 1965, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सचिवालय के अनुच्छेद-85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
मैं एतद् द्वारा राष्ट्र सभा को सोमवार, 14 फरवरी, 1966 को मध्याह्न पूर्व
11 बजे नई दिल्ली में सम्मेलित होने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

नई दिल्ली,
18 दिसम्बर, 1965।

एस० राधाकृष्णन्,
राष्ट्रपति।”

बी० एन० बनर्जी, सचिव।